# न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खूँटी

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या –13R15/2012

दशरथ राम गौंझु बनाम महावीर राम गौंझु

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या –14R15/2012

गाँधी राम गौंझु बनाम महावीर राम गौंझु

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या –21R15/2012

फुना देवी बनाम महावीर राम गौंझु

## *आदेश*

04/09/15

उपरोक्त रिविजन वाद आवेदक (1) दशरथ राम गौंझु (2) अचरज राम गौंझु, पिता – स्व0 खूबी राम गौंझु, ग्राम–सेनेगुटु, टोला – हितूटोला, थाना – खूँटी, जिला – खूँटी (3) गाँधी राम गौंझु, पिता – स्व0 कमलराज गौंझु, साकिन – हितुटोला, सेनेगुटु, थाना – खूँटी, जिला – खूँटी (4) फुना देवी, पति– तीरथ नाथ गौंझु, साकिन – बेलवादाग, थाना – खूँटी, जिला – खूँटी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद 06/2010–11, 22/07–08, 2/11–12 में दिनांक 25.06.12 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता द्वारा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराया तथा विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है। चूँकि महावीर राम गौंझु तीनों वादों में प्रतिवादी हैं।अतः उपरोक्त वादों का निस्तारण एक समान आदेश से पारित करना यथोचित होगा। उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस किया गया।

उपरोक्त वादों में दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या 13R15/2012–13 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदक एवं विपक्षी गण आपस में भैयाद हैं तथा एक ही वृक्ष के सदस्य हैं वंशावली का वर्णन रिवीजन पीटीशन में किया गया है। वाद सम्पति के संबंध में दीवानी न्यायालय सब जज राँची के न्यायालय में हक वाद संख्या 89/1978 सुखदेव गौंझू वगैरह बनाम तीर्थमनी देवी वगैरह द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में आवेदक दशरथ राम गौंझु, अचरज राम गौंझु, पिता खुबी राम गौंझु प्रतिवादी संख्या 22 में पक्षकार बनकर उक्त वाद में संघर्ष किए थे। आवेदक के पिता खुबीराम गौंझु दीवानी न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु आवेदन दिये थे, जिसमें दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.81 में पक्षकार बनाया गया। माननीय अपर न्याय आयुक्त, राँची तृतीय में T.A No.41/86 द्वारा उपरोक्त Original Suitके निर्णय को चुनौती दिया गया, जिसमें इस वाद के आवेदक एवं इस वाद के विपक्षियों का हक, अधिकार एवं स्वत्व को कब्जा का निर्णय हुआ और डिक्री बना। इस प्रथम अपीलीय न्यायालय में भी आवेदकों के पिता खुबीराम गौंझु पक्षकार थे। अपर न्याय आयुक्त, राँची के T.A No. 41/86के मुकदमा हारने पर पक्षकार द्वारा माननीय

झारखण्ड उच्च न्यायालय में उक्त फैसला को चुनौती दिया गया, जिसका वाद संख्या 37/1990(R)में अंकित है। उक्त वाद में भी आवेदक के पिता पक्षकार थे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने भी T.A No. 41/86अपर न्याय आयुक्त, राँची द्वारा पारित निर्णय को समर्थन करते हुए उक्त निर्णय को ही बहाल रखा। अपर न्यायायुक्त, राँची के T.A. No. 41/86एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के अपील वाद संख्या 37/1990(R)में पारित निर्णय में दिवानी न्यायालय के Original Suitके प्रतिवादियों (इस वाद के आवेदक एवं विपक्षी गण) के पक्ष में हक अधिकार एवं स्वत्व घोषित हुआ। उक्त मुकदमा में विपक्षी गणों का कथन है कि सन् 29.11.1938 के डोड में आवेदकों के पिता खुबीराम गाँझु का नाम दर्ज नहीं है। अतः आवेदकों के नाम पर दाखिल खारिज होने देना नही चाहते। वास्तविक तथ्य यह है कि सन् 1938 ई0 में आवेदक के पिता नाबालिक थे। अतः उक्त डोड में उनका नाम दर्ज नहीं कराया गया। चूँकि नाबालिक के नाम पर भूमि हस्तांतरण नहीं होता है। उपरोक्त वर्णित डोड के जमीन के संबध में ही दीवानी न्यायालय में वाद सं0 T.S. No89/78 अपर न्यायायुक्त, राँची के वाद सं0 TA No. 41/86 एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वाद सं0 37/1990 में मुकदमा चला तथा आवेदक के पिता आवश्यक पक्षकार, प्रतिवादी नं0 2 बनकर वाद में संघर्ष किये है एवं उक्त पट्टा में वर्णित जमीन पर उनका भी हक अधिकार स्वत्व एवं कब्जा अन्य प्रतिवादियों के साथ–साथ घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त वर्णित दीवानी न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय से आवेदकों के पिता के नाम से हक, स्वत्व एवं अधिकार घोषित किया जा चुका है, इसके बावजूद L.R.D.C, खूँटी को पुनः हक, अधिकार स्वत्व घोषित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। चूँकि इस वाद में L.R.D.C, खूँटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किये हैं, जो न्याय संगत नहीं है। साथ ही आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी द्वारा अपने आदेश में इस बात के संबंध में कही कोई कथन उल्लेखित नही है कि ठुरु राम गाँझु के पुत्र खुबी राम गाँझु, जो वर्त्तमान वाद में आवेदक गण है, के पिता थे उन्हें टाइटल सूट एवं टाइटल अपील संख्या – 41/86 में प्रतिवादी सख्या 22 बनाया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त आधार पर नहीं मानकर अपने क्षेत्राधिकार को उल्लंघन कर अपील स्वीकृत करना न्यायहित एवं न्यायिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। विवादित भूमि पर सुखदेव राम गाँझु वगैरह के साथ जगत पाल गाँझु वगैरह के बीच एक हक वाद जिसका टाइटल सूट नं0 89/1978 ई0 को चला था। उक्त वाद में दशरथ राम गाँझु एवं अचरज राम गाँझु वर्त्तमान अपीलार्थी गण/आवेदक गण के पिता खुबीराम गाँझु को पक्षकार नहीं बनाया गया था। जब उक्त हक वाद दाखिल किया था उस समय और न ही महावीर राम गाँझु के पिता वगैरह ने इस बात की सूचना न्यायालय में दी थी। किन्तु खुबी राम गाँझु, पिता ठुरु राम गाँझु, जो वर्त्तमान आवेदक गण के पिता थे, ने एक आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता को आदेश Iनियम 10 के अन्तर्गत दाखिल किया और न्यायालय से प्रार्थना किया गया चूँकि ठुरु राम गाँझु द्वारा सम्पति को जरपेशगी के जरिये लिया गया था एवं बाद में उसे अपने पुत्र, पोता एवं भतीजे के नाम रैयती बन्दोबस्त पट्टा बनवा लिया, जो संयुक्त सम्पति के परिधि में आती है, जिस पर उनका भी हक हकीकत बनता है। अतः उन्हें भी उक्त वाद टाइटल सुट 89/1978 में

प्रतिवादी बनाया जाय। इस पर सभी पक्षों का प्रतिउत्तर लेकर न्यायालय द्वारा पूरे मामले पर सुनकर दिनांक 09.03.1981 को विस्तृत आदेश पारित किया गया, जिसमें खुबी राम गौंझु के हक हफीयत की बात स्वीकार की गई एवं उन्हें पक्षकार बनाया गया। इस आदेश के खिलाफ किसी भी पक्षकार द्वारा कोई अपील या अन्य आवेदन दाखिल नहीं की गई (आदेश दिनांक 09.03.1981 टा0सूटन0 89/1978 ई0) से स्पष्ट होता है कि खुबी राम गौंझु का सम्पत्ति पर अधिकार था एवं वे दखल में थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र गण दशरथ राम गौंझु एव अचरज राम गौंझु का उक्त सम्पत्ति पर दखल हुआ। उक्त आदेश के संबंध में माननीय उप समाहर्त्ता द्वारा दाखिल खारिज अपील में किसी प्रकार का कोई मंतव्य देना न्यायोचित नहीं है। जहाँतक ठुरु राम गौंझु के हक एवं खुबी राम गौंझु के हक हकीयत का सवाल है, जो वाद बिन्दु बनाकर उप समाहर्त्ता द्वारा निराकरण किया गया है। बिल्कुल विधि के विरुद्ध है। क्योंकि हक हकीयत से संबंधित प्रश्न का निराकरण दाखिल खारिज वाद में नहीं किया जा सकता है, जो उप समाहर्त्ता द्वारा कर दिया गया। जबकि उन्हें हक हकीयत हिस्सा संबंधी विवाद का निराकरण हेतु संबंधित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश देना चाहिए। अतः उस आधार पर माननीय उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 29.11.1938 को जब रैयती बन्दोबस्त पट्टा लिया जा रहा था, तब खुबी राम गौंझु मात्र 9 वर्ष के थे तथा यह भी स्वीकार्य है कि ठुरु राम गौंझु एवं गौंझु राम गौंझु द्वारा उक्त सम्पत्ति को बजरिये जरपेशगी पट्टा द्वारा लिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 29.11.1938 ई0 को दोनों व्यक्तियों के पुत्र एवं पोता के नाम से बंदोबस्ती लिया गया तथा इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि आवेदक गण/अपीलार्थीगण ठुरु राम गौंझु के वंशज हैं तथा भूमि संयुक्त सम्पत्ति से रुपया लगाकर एवं जरपेशगी रुपया से खरीद की गई है। तथापि उक्त प्रश्न का निराकरण की क्या सम्पत्ति संयुक्त है या नहीं सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जबकि उप समाहर्त्ता द्वारा अपने स्तर से इस बात का निराकरण कर देना विधि सम्मत नहीं है, जहाँ तक सम्पत्ति के दखल का प्रश्न था विपक्षी गण के द्वारा दाखिल खारिज वाद स0 37R27/07-08के जरिये दिनांक 29.10.07 को विवादित भूमि का दाखिल खारिज करवाया गया। जिसके पश्चात् दशरथ राम गौंझु एवं अचरज राम गौंझु द्वारा पंजी II में नाम जोड़ने का आवेदन दिया गया, जो अंचलाधिकारी के द्वारा खारिज हो गया। तत्पश्चात् दशरथ राम गौंझु द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/07–08 न्यायालय श्रीमान् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ दाखिल किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 17.04.08 के जरिये दशरथ राम गौंझु एवं अचरज राम गौंझु के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अंचल अधिकारी को पुनः सुनकर एवं दखल संबंधी जाँच कर आदेश देने का निर्देश देते हुए मामला प्रतिप्रेषित(Remand)किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 30.10.2009 को तत्कालिन अंचल अधिकारी द्वारा मामले को मूल कागजातों एव अन्य तथ्यों का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत आदेश पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि दशरथ राम गौंझु एवं अचरज राम गौंझु का हक, हकीयत एवं दखल प्राप्त है उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार द्वारा इस संबंध में बिना कोई अपने स्तर से जाँच कराये निम्न न्यायालय अंचलाधिकारी के आदेश को पलट देना अवैध एवं न्यायिक सिद्धान्त से परे है। उप समाहर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय/अंचलाधिकारी के आदेश को वास्ते वर्त्तमान आवेदक गण हेतु किस

आधार पर निरस्त किया गया है, नहीं लिखा गया है। उपरोक्त के आधार पर यह रिवीजन वाद स्वीकृत किये जाने योग्य है।

अतः आवेदक द्वारा रिवीजन वाद स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वादों में दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या 14R15/2012-13 में आवेदक द्वारा कहा गया है कि उक्त वाद से आवेदक एवं विपक्षी गण आपस में भैयाद हैं एवं एक ही वंश वृक्ष के सदस्य हैं। सम्पत्ति के संबंध में दीवानी न्यायालय सब जज राँची के न्यायालय में हक वाद संख्या 89/1978 सुखदेव गौंझु वगैरह बनाम तीरथमणी देवी वगैरह द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री आवेदक गाँधी राम गौंझु के पिता कमल राम गौंझु प्रतिवादी संख्या 21 के रुप में पक्षकार बनकर उक्त वाद में संघर्ष किये थे। आवेदक के पिता कमल राम गौंझु दीवानी न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु आवेदन दिये थे, जिसमें दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.1981 में उन्हें पक्षकार बनाया गया। माननीय अपर न्याय आयुक्त, रांची तृतीय T.A. No. 41/86द्वारा उपरोक्त Original Suitके निर्णय को चुनौती दिया गया, जिसमें इस वाद के आवेदक एवं इस वाद के विपक्षियों का हक, अधिकार एवं स्वत्त्व को कब्जा का निर्णय हुआ एवं डिक्री बना। इस प्रथम अपीलीय न्यायालय में भी आवेदक के पिता कमल राम गौंझु पक्षकार थे। अपर न्यायायुक्त, रांची के T.A. No. 41/86के मुकदमा हारने पक्षकार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में उक्त फैसला को चुनौती दिया गया, जिसका वाद संख्या 37/1990(R) अंकित है। उक्त वाद में भी आवेदक के पिता पक्षकार थे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने भी T.A. No. 41/86अपर न्याय आयुक्त, रांची द्वारा पारित निर्णय को समर्थन करते हुए उक्त निर्णय को ही बहाल रखा। अतः अपर न्यायायुक्त, रांची के T.A. No. 41/86एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के अपील वाद सं0 37/1990(R)में पारित निर्णय में दीवानी न्यायालय के Original Suitके प्रतिवादियों (इस वाद के आवेदक एवं विपक्षी गणों) के पक्ष में हक अधिकार एवं स्वत्व घोषित हुआ। उक्त मुकदमा में विपक्षी गणों का कथन है कि सन् 29.11.1938 के डीड में आवेदकों के पिता कमल राम गौंझु का नाम दर्ज नहीं है। अतः आवेदकों के नाम पर दाखिल खारिज होने देना नहीं चाहते। वास्तविक तथ्य यह है कि सन् 1938 ई0 में आवेदक के पिता नाबालिग थे। अतः उक्त वाद में उनका नाम दर्ज नहीं कराया गया। नाबालिग के नाम पर भूमि हस्तांतरण नहीं होता है। उपरोक्त वर्णित डीड के जमीन के संबंध में ही दीवानी न्यायालय में वाद संख्या T.S. No. 89/78अपर न्यायायुक्त, राँची के वाद संख्या T.A. No. 41/86एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वाद संख्या 37/1990(R)में मुकदमा चला तथा आवेदक के पिता आवश्यक पक्षकार, प्रतिवादी संख्या–21 बनकर वाद में संघर्ष किये हैं एवं उक्त पट्टा में वर्णित जमीन पर उनका भी हक, अधिकार, स्वत्व एवं कब्जा अन्य प्रतिवादियों के साथ–साथ घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त वर्णित दीवानी न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय से आवेदकों के पिता के नाम से हक स्वत्व एवं अधिकार घोषित किया जा चुका है इसके बावजूद L.R.D.Cको पुनः हक, अधिकार, स्वत्व घोषित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। चूँकि L.R.D.Cखूँटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश

पारित किये हैं, जो न्याय संगत नहीं है। अतः रिवीजन वाद को स्वीकृत कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या 21R15/2012-13में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त रिवीजन वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी, के वाद दाखिल खारिज अपील नं0 22/07–08 महावीर राम गौंझु बनाम फुना देवी एवं अन्य में दिनांक 25.06.12 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विवादित जमीन सा0 खूँटी (कुसुमटोली), थाना– खूँटी के खेवट नं0 15, खाता नं0 398, रकबा 82 डि0 से है। उक्त विवादित जमीन के साथ अन्य जमीन आर0एस0 खतियान में भोला उर्फ भोलू गौंझु के नाम से दर्ज है एवं उनके मृत्यु पश्चात् उनके पुत्र हरि गौंझु, दीपनाथ गौंझु एवं सोमा गौंझु उक्त विवादित जमीन पर दखलकार हुए।

सुखदेव गौंझु पुत्र जमींदार स्व0 हरि गौंझु एवं बिट्टू गौंझु पुत्र जमींदार सोमा गौंझु तथा उनके साथ तेजा गौंझु, चतुर गौंझु एवं मानो गौंझु पुत्र स्व0 जमींदार रोपनाथ गौंझु, ग्राम–खूँटी, थाना–खूँटी,जिला– रांची वर्त्तमान जिला – खूँटी उपरोक्त जमीन पर ग्राम–खूँटी, थाना–खूँटी, जिला– खूँटी दखलकार रहकर जमाबन्दी अपने नाम कराकर उपरोक्त जमीन प्लॉट नं0 161, खाता नं0 398, रकबा–82 डी0 को दिनांक 04.11.11 को फुना देवी, पति गोरखनाथ गौंझु, ग्राम बेलवादाग और मीना कुमार, पुत्री ललीत मोहन गौंझु, ग्राम–खूँटी को बिक्री कर दिया। खरीदगी से ही आवेदिका वगैरह उपरोक्त जमीन में दखलकार है। आवेदिका अपने नाम के साथ मीना कुमारी के नाम से अंचल अधिकारी, खूँटी के यहाँ दाखिल खारिज के लिए उपरोक्त खाता नं0 398, प्लॉट नं0 161, रकबा 82 डी0 आवेदन पर दिनांक 05.11.77 को आवेदन पत्र दिया था। उपरोक्त जमीन का करेक्शन स्लीप आवेदिका वगैरह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 49R27/1978-79के आधार पर बना। दाखिल खारिज के बाद से आवेदक गण लगातार मालगुजारी देते चले आ रहे है और उनके मालगुजारी रसीद हासिल किए हैं। उपरोक्त जमीन का जमाबन्दी सुखदेव गौंझु वगैरह के नाम से वर्ष 2003–04 से वर्ष 07–08 तक का है, जो विक्रेता (Vender)सुखदेव गौंझु वगैरह के नाम से दखल दर्शाता है। विपक्षियों ने इस गाँव के अन्य प्लॉटों का आवेदन पत्र अंचल अधिकारी के कार्यालय में दिया था, जिसका नं0 370R27/07-08है, जिसमें इस विवादित प्लॉट नं0 161, रकबा 82 डी0, खाता नं0 398 को छोड़कर अन्य प्लॉटों के जमीन का दाखिल खारिज (विपक्षियों) का स्वीकृत हुआ। चूँकि प्लॉट नं0 161, रकबा 82 डी0 अन्दर खाता नं0 398 पूर्व में ही फुना देवी एवं मोना कुमारी के नाम से दाखिल खारिज हो चुका था। उपरोक्त विपक्षियों के नाम खाता नं0 398, प्लॉट नं0 161, रकबा 82 डी0 जब दाखिल खारिज मंजूर नहीं हुआ तब विपक्षी संख्या 1 से 12 ने एल0आर0डी0सी0, खूँटी के यहाँ अपील दायर किया अपील नं0 22/07–08 है, जिसे एल0आर0डी0सी0, खूँटी ने दिनांक 05.06.17 को अपील मंजूर कर लिया, जिसके विरुद्ध यह रिवीजन (Revision)फुना देवी ने दायर किया, जिसका नं0 Rev21R15/12-13है। विपक्षियों ने अंचल अधिकारी के विरुद्ध काफी विलम्ब से अपील दायर किया जबकि आवेदिका फुना देवी वगैरह विवादित जमीन पर लम्बे समय से लगातार 43 वर्ष से दखलकार चले आ रहे हैं, जिसे एल0आर0डी0सी0 द्वारा विचार करने में भूल हुई है। मीना कुमारी को पार्टी नहीं बनाया गया

है, जिस पर एल0आर0डी0सी0, खूँटी द्वारा विचार नहीं किया गया है। विपक्षियों द्वारा यह भी दावा किया गया है कि विपक्षियों ने धारा 144, 145 एवं 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता का केश इस वाद के विक्रेता सुखदेव गाँझु वगैरह पर दायर किया था। जिसपर आवेदिका फुना देवी को मीना कुमारी की पार्टी नहीं बनाया गया था। आवेदिका विवादित जमीन को रजिस्ट्री पट्टा द्वारा जमीन मालिक से खरीदकर, जो लिखित बहस के धारा 3 एवं 4 में दर्ज है। फिजिकली दखलकार है। आवेदिका अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर दखलकार चली आ रही है। बराबर मालगुजारी देती आ रही है और अनेक मालगुजारी रसीद हासिल किया है इस तरह आवेदिका मीना कुमारी के साथ दखलकार चली आ रही है। "दखल" दाखिल खारिज मामले में मुख्य बिंदु है, जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। आवेदिका एवं मीना कुमारी विवादित जमीन में एडवर्स (लम्बे समय से) दखलकार है अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वादों में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया है कि वर्त्तमान नामान्तरण वाद में प्रारंभिक राजस्व अधिकारियों ने वर्त्तमान आवेदक का दखल नहीं पाया है। वर्त्तमान आवेदक ने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि कुल 18 प्लॉटों में उसका दखल है या उन भूमि खण्डों में वह किस प्रकार का दखल का काम करता है। अपने आवेदन के कण्डिका 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि कुल विवादी जमीन, जो 18 प्लॉटों में उसको 1.50 हिस्सा है लेकिन उसे यह साहस नहीं जुटा पाया कि उसका 1.50 एकड़ किस प्लॉट में या किन प्लॉटों में है। यदि सचमुच आवेदक को 1.50 एकड़ हिस्सा बनता है, तो वह विपक्षियों तथा अन्य दावेदारों जिनमें उनके निज चाचा चैता राम गाँझु एवं झाड़ु राम गाँझु तथा आवेदक के पिता चाचा खूबी राम गाँझु के पुत्र पुत्रियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में बंटवारा मुकदमा कर अपना हिस्सा को अलग कराकर अपने हिस्से के जमीन का नामान्तरण करा लेंगे। विवादी जमीन जो खाता 398, ग्राम खूँटी तथा खाता 6 ग्राम कुसुमटोली में अवस्थित है। न उनको न उनके पिता कमल राम और न उनके चाचा वृन्द चोयता राम गाँझु और झाड़ु राम का हक दखल और सरोकार कम से कम दिनांक 29.11.1938 अर्थात् वीगत 74 वर्षों से नहीं है जिस दिन इन जमीनों को (1) जगतपाल राम गाँझु, पिता कपिल राम गाँझु (2) दुलार राम गाँझु पिता ठुरु राम गाँझु (3) किनु राम गाँझु (4) गिरवर राम गाँझु, पिता गाँझु राम गाँझु ने तत्कालीन जमींदारों से निबंधित विलब द्वारा नगद 4,300/– (चार हजार तीन सौ) रुपये तथा वार्षिक मालगुजारी निर्धारित करा कर रैयती बन्दोबस्त लिखा।

दिनांक 29.11.1938 को सभी रैयती बन्दोबस्त धारियों अर्थात् (1) जगतपाल राम गाँझु (2) दुलार राम गाँझु (3) किनु राम गाँझु (4) शिखर राम गाँझु के पिता जीवित थे। वर्त्तमान आवेदक गाँधी राम गाँझु के पिता कमल राम ही नहीं उसके पितामह कपिल राम गाँझु तथा आवेदक के पर पितामह अर्थात् कपिल राम के पिता ठुरु राम भी जीवित थे। किन्तु ठुरु राम गाँझु के सभी पुत्रों का और न कपिल राम गाँझु के सभी पुत्रों का नाम उक्त रैयती बन्दोबस्ती विलेख में नहीं है जैसाकि आवेदक आवेदन पत्र के कंडिका 9 में वंशवृक्ष दिखलाया है ठुरु राम गाँझु के पुत्र कपिल राम गाँझु के तीन पुत्रों में मात्र दो तथा ठुरु राम गाँझु के पुत्र कपिल राम गाँझु के 4 पुत्रों में तीन क्रमशः (1) कमल राम गाँझु (वर्त्तमान आवेदक के पिता

चोयता राम गौंझु तथा झाडु राम गौंझु का नाम रैयती विलेख में नहीं है। आवेदक ने टी0एस0 89/78 T.A. No. 41/1986 तथा उच्च न्यायालय के द्वितीय अपीलS.A 37/1990(R) दिनांक 19.06.2007 का उल्लेख कर अपने अनुतोष को झुठला दिया है। उक्त वर्णित T.S. 89/78 T.A. No. 41/1978 तथा S.A. 37/1990से आवेदक या उनके पिता कमल राम का कोई आवेदक या उनके पिता कमल राम का कोई सरोकार नहीं है इन्हीं वादों के बीच एक धारा 144/145 द0प्र0स0 का प्रक्रिया भी विवादी जमीनों से एक प्लॉट के लिए हुआ था उक्त प्रक्रिया में भी नहीं हुआ। आवेदक का दावा है कि T.S 89/78 T.A. 41/1986 तथा S.A. 37/1990(R) में उनके पिता पक्षकार थे तथा उनके पक्ष में वे सारे वाद निर्मित हुए हैं बिल्कुल भूल है यह बात सत्य है कि खूबी राम गौंझु तथा कमल राम गौंझु Proforma Defendant थे।

विपक्षी का यह भी कथन है कि वर्त्तमान पुनरीक्षण वाद चलने लायक नहीं है। उक्त भूमि विवाद जैसा आवेदकों ने अपने आवेदन में कहा है कि ग्राम – खूँटी का खाता 398 तथा कुसुमटोला का खाता 06 है। यह खाता तत्कालीन जमीन्दारों की बकास्त जमीन थी। दोनों ग्रामों के उपरोक्त दोनों खाता को जमीन्दारों ने सन् 1919 में दुरु राम गौंझु तथा गौंझु राम गौंझु को निबंधित जरपेशगी पट्टा द्वारा जरपेशगी दिया। उक्त जरपेशगीदारों का नाम खतियान में दर्ज है। दिनांक 29.11.1939 को उक्त जरपेशगी जमीन अर्थात् ग्राम–खूँटी का खाता–398 तथा कुसुमटोली के खाता–6 को एक निबंधित रैयती हुक्मनामा द्वारा (1) जगतपाल राम गौंझु, पिता कपीलराम गौंझु (2) दुलार राम गौंझु, पिता दुरु राम गौंझु (3) किनु राम गौंझु (4) गिरवर राम गौंझु दोनों के पिता गौंझु राम गौंझु को 4300 रु0 सलामी तथा वार्षिक मालगुजारी 6 रु0 पर रैयती बन्दोबस्त किया। उपरोक्त चारों रैयती बन्दोबस्त लेने वालों के पिता दिनांक 29.141.1938 को जीवित थे। दिनांक 29.11.1938 के दिन से अर्थात् आज से 74 वर्ष पहले से उक्त रैयतों या उनके उत्तराधिकारी दखलकार हैं तथा अन्य कोई दखल में नहीं है और न किसी का सत्व या अधिकार है।

1. T.A. No. 89/1978 भूतपूर्व जमीन्दार के वंशज बनाम उपरोक्त रैयतों के वंशजों के बीच उक्त वाद में निर्णय भूतपूर्व जमीन्दार के वंशज महेश गौंझु के पक्ष में निर्णय हुआ।
2. T.A.No. 41/1986 जो श्रीमान् अपर न्यायामुक्त, राँची के न्यायालय में गोपाल राम गौंझु बगैरह (बन्दोबस्त लेने वाले) रैयतों के उत्तराधिकारियों ने T.S.No. 89/1978 के निर्णय के विरुद्ध भूतपूर्व जमीन्दारों के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध किया। उक्त T.A.No. 41/1986 में निर्णय हुआ कि सारे विवादी जमीन रैयती लेने वाले रैयतों के वंशजों के अधिकार तथा दखल में है।
3. S.A.No. 37/1990(R) राँची उच्च न्यायालय में भूतपूर्व जमीन्दारों के वंशजों ने 1939 के रैयतों अर्थात् इस पुनरीक्षण वाद के विपक्षियों पर किया, जो माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 19.06.2007 को खारिज किया अर्थात् रैयती लेने वालों की जीत हुई।
4. धारा 144/145 द0प्र0स0 की प्रक्रिया सन् 1970 अर्थात् उपरोक्त T.S.No. 89/1978 दाखिल होने के पहले दोनों पक्षों के बीच हुआ था, जिसका निर्णय वर्त्तमान विपक्षियों के पक्ष में हुआ और इसी कारण जमीन्दार पुत्रों ने दिवानी मुकदमा खड़ा किया, जिसका निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा 19.06.2007 में हुआ। दिनांक 29.11.1938 को जब इन

विपक्षियों के पूर्वजों ने विवादी जमीन को बन्दोबस्ती लिया सभी बन्दोबस्त लेने वालों के के पिता जीवित थे। वर्त्तमान आवेदक के पिता स्व0 खूबीराम गाँझु जरपेशगीदार ठुरु राम गाँझु के उत्तराधिकारी हैं, किन्तु दिनांक 29.11.1938 के वाद ठुरु राम गाँझु को विवादी सम्पत्ति पर किसी प्रकार का हक और दखल नहीं रहा। ठुरु राम गाँझु और इसके भाई गाँझु राम गाँझु ने दिनांक 29.11.1938 को जिस दिन वर्त्तमान विपक्षियों ने कुल विवादी सम्पति को रैयती बन्दोबस्त लिया उस दिन जरपेशगीदारों अर्थात् ठुरु राम तथा गाँझु राम ने अपना जरपेशगी रुपया जमीन्दारों से पाया जिसका जिक्र रैयती बन्दोबस्ती पट्टा में किया गया है। रैयती बन्दोबस्ती वर्त्तमान आवेदकों के पिता खूबीराम गाँझु या उसके पितामह ठुरु राम गाँझु नहीं लिया। वर्त्तमान आवेदकों का विवादी भूमि में न कोई अधिकार है और न दखल है। अतः पुनरीक्षण वाद को संचिकास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किया गया बहस सुनने, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि रैयती बन्दोबस्ती पट्टा दिनांक 29.11.1938 में (1) जगतपाल राम गाँझु (2) दुलार राम गाँझु (3) कीनु राम गाँझु (4) गिरवर राम गाँझु के नाम से निस्पादित है। जिसपर आवेदक गणों का दावा करना न्यायोचित नहीं है। साथ ही टाईटल अपील नं0 41/1978, द्वितीय अपील नं0 37/1990 और स्पेशल लोभ पीटीशन नं0 19267/07 भी दर्शाता है कि विवादित भूमि में सुखदेव गाँझु, दीपनाथ गाँझु वगैरह का हक, दखल, सरोकार पट्टा दिनांक 29.11.1938 के पश्चात् नहीं रहा।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक का रिवीजन आवेदन अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, खूँटी को निदेश दिया जाता है कि माननीय विशेष अवर न्यायाधीश, राँची के T.S.No. 89/78, माननीय AJC III राँची के वाद Title Appeal No. 41/78 एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के Appellate Decree No. 37/1990(R) में पारित आदेश के आलोक में दखल कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। पक्षकारों एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें।

*लेखापित एवं संशोधित।*

24/09/15
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी।

24/09/15
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी।